न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 13/2019

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
श्रीमति मोगली पुत्री वनीया, धर्मपत्नि चौपाराम, जाति चौधरी, निवासी सरदारगढ, तहसील व जिला जालोर		1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर 2.नेमाराम पुत्र गणेशाजी, जाति चौधरी, निवासी सरदारगढ, तहसील व जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर,दिनांक 7.12.2010(ना.क.सं. 168)

उपस्थिति :-
1-श्री सिकन्दर अली,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से।
3.रेस्पोडेन्ट सं.2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 30.9.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सरदारगढ के संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 0.62 हेक्टर, खसरा नम्बर 19 रकबा0.67 हेक्टर, खसरा नम्बर 20 रकबा 0.77 हेक्टर,खसरान नम्बर 387 रकबा 3.27 हेक्टर,खसरा नम्बर 399 रकबा 0.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 400रकबा 2.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 401 रकबा 0.04 हेक्टर , खसरा नम्बर 433/876 रकबा0.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 424 रकबा 1.90 हेक्टर, खसरा नम्बर 439रकबा 0.85 हेक्टर, खसरा नम्बर 555 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 556 रकबा 0.70 हेक्टर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.03 हेक्टर, कुल खसरा 13 रकबा 12.01 हेक्टर में अपीलांट का 1/3 हिस्सा है जिसमें से खसरा नम्बर 18 रकबा 0.62 हेक्टर, खसरा नम्बर 19 रकबा 0.67 हेक्टर, खसरा नम्बर 20 रकबा 0.77 हेक्टर,कुल रकबा 2.06 हेक्टर में से 1/3 हिस्सा रकबा 0.686 हेक्टर का बैचान रेस्पोडेन्ट सं. 2 नेमाराम पुत्र गणेशाजी को दिनांक 22.10.2002को जरिये रजिस्ट्री के कर दिया था लेकिन रेस्पोडेन्ट सं. 1--तहसीलदार जालोर ने गलत रूप से

म्युटेशन सं. 168दिनांक 7.12.2010 के जरिये सम्पूर्ण खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 18,19,20,387,399,400,401,433/876,434,439,555,556,557 का म्युटेशन रेस्पोडेन्ट सं.2–नेमाराम के नाम भर दिया जो कानून विधि विरूद्ध होने से गलत भरा गया है। अपीलांट को इस म्युटेशन की जानकारी ,राज्य सरकार द्वारा अनुदान मिलने के कारण पटवारी हल्का के पास नकल लेने हेतु जाने पर दिनांक 30.5.2019को हुई तब जालोर आकर नकले मांगी जो दिनांक 4.6.2019को मिली तब ज्ञान के दिन से अपील अन्दर म्याद पेश की है, फिर भी देरी मानी जावे तो देरी कण्डोन करने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर,अपीलाधीन म्युटेशन सं. 168 दिनांक 7.12. 2010 को खारिज करावे व बैचान रजिस्ट्री के आधार पर म्युटेशन भरने का आदेश करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ म्युटेशन सं.168 दि.7.12. 2010 की प्रमाणित प्रति आदि नकले पेश की गई, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र का रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है, अतः अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि अपीलांट ने मौजा सरदारगढ के खसरा नम्बर 18,19,20कुल रकबा 2.06 हेक्टर में से 1/3 हिस्से का ही बैचान रेस्पोडेन्ट सं.2–नेमाराम को किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट सं.1–तहसीलदार जालोर ने खसरा नम्बर सम्पूर्ण खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 18, 19, 20, 387, 399, 400, 401, 433/876, 434, 439, 555, 556, 557 का म्युटेशन रेस्पोडेन्ट सं.2–नेमाराम के नाम भर दिया जो कानून विधि विरूद्ध होने से गलत भरा गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन म्युटेशन सं. 168 दिनांक 7.12. 2010 को खारिज करावे व बैचान रजिस्ट्री के आधार पर म्युटेशन भरने का आदेश करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से सरकारी वकील ने बताया कि म्युटेशन गलत भरा गया है, रजिस्ट्री के अनुसार ही खसरा नम्बर 18,19,20 कुल रकबा 2.06 में से 1/3 हिस्से का ही म्युटेशन भरा जाना चाहिये था।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं.2 के पक्ष में पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 22.10.2002 द्वारा ग्राम सरदारगढ के खसरा नम्बर 18,19,20 कुल रकबा 2.06 हेक्टर का 1/3 हिस्सा ही बैचान किया गया जबकि तहसीलदार जालोर द्वारा मौजा सरदारगढ के नामान्तरकरण सं. 168 दिनांक 7.12.2010 द्वारा खसरा नम्बर 18 से 20 तथा 387,399, 400, 401, 433/876, 434, 439, 555से 557 कुल 13 खसरा नम्बर का रेस्पोडेन्ट नेमाराम पुत्र गणेशाजी के नाम नामान्तरकरण भरकर स्वीकृत कर दिया जो गलत है।

आदेश

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार जालोर का आदेश दिनांक 7.12.2010 निरस्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार जालोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि पंजीबद्ध बैचान दस्तावेज सं. 1587 दिनांक 22.10.2002 के अनुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 30.9.2019को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.19 15:59:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: